<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।</u>

<u>उपस्थित– शिवानी–प्रथम... उ०प्र० न्यायिक सेवा।</u>

सरकार ––––––––बनाम––––––––साकिर आलम

वाद सं० 4574/2022
मु०अ०सं०–472/2022
धारा 4/25 आयुध अधिनियम
थाना–खोड़ा, गाजियाबाद।

<u>बयान मुल्जिम</u>

नाम–साकिर आलम पिता का नाम– हबीब रहमान
उम्र–20 वर्ष पेशा– मजदूरी निवासी– खोरागाछ, सिकटी
थाना– सिकटी जिला– अरेरिआ, बिहार।

प्रश्न–1 यह कि दिनांक 30.08.2022 को समय लगभग 21.49 बजे व स्थान इन्द्रापुरम फ्लाई ऑवर के नीचे, अन्तर्गत थाना खोड़ा, गाजियाबाद से पुलिस कर्मचारीगण द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया और आपके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद किया, जिसे आप बिना लाईसेंस के अपने कब्जे में रखे थे । इस बारे में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– जी, जुर्म स्वीकार है।

प्रश्न–2 क्या आप स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहें हो ?
उत्तर– जी हाँ।

प्रश्न–3 क्या कुछ और कहना है ?
उत्तर– नहीं।

सुनकर तसदीक किया।

दिनांकः 21.07.2023

शिवानी–प्रथम,
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद

<u>निर्णय</u>

पत्रावली आज जेल लोक अदालत में द्वारा VC पेश हुई।

अभियुक्त **साकिर आलम** द्वारा स्वेच्छा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्धन है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। वह दिनांक 31.08.2022 से लगातार जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा प्रार्थना कि गयी है कि कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित दण्डादेश पारित किया जाता है।

अभियुक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनिमय में जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1500/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। माल मुकदमाती नियमानुसार निरस्त हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 21.07.2023

शिवानी–प्रथम,
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद